

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 92/2019

निर्णय दिनांक - 31.05.2019

श्री धनगिर पिता श्री मुलगिर जाति गुसाई पेशा काश्त उम्र 70 साल निवासी नाहरगढ तह0 भदेसर जिला चित्तौड़गढ राज0 ।

- प्रार्थी

// बनाम //

1. रंगलाल पिता नारायण धाकड उम्र वयस्क निवासी चंगेडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज0 ।
2. फतहलाल पिता नारायण धाकड उम्र वयस्क निवासी चंगेडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज0 ।
3. बगदीराम पिता नारायण धाकड उम्र वयस्क निवासी चंगेडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज0 ।
4. नारायण पिता स्व. भागीरथ धाकड उम्र वयस्क निवासी चंगेडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ राज0 ।
5. नन्दुबाई पत्नि स्व. चमनगिरी जाति गुसाई आयु वयस्क निवासी भुरकिया तह0 बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ राज0 ।

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा चंगेडी पटवार हल्का ढोरिया तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 35की आराजी नं0 318 रकबा 0.3000 हैक्टेयर आराजी न0 335 रकबा 2.9900 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.2900 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 1500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा चंगेडी पटवार हल्का ढोरिया तह0 निम्बाहेडा की खाता संख्या 35 की आराजी नं0 318 रकबा 0.3000 हैक्टेयर आराजी न0 335 रकबा 2.9900 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.2900 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढी करे। पत्थरगढी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 31.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

